

अलवर शहर में बढ़ती पानी की किल्लत को लेकर विधायक धरने पर बैठे

रूपरेल नदी का पानी जयसमंध बांध में लाने के लिए नटनी का बारां वीयर पर दे रहे धरना

अलवर, (निस.)। नटनी का बारां वीयर से निकलने वाली रूपरेल नदी के जरिये 60 फीसदी वर्षा का पानी व्यर्थ बह जाता है। इसकी वजह से अलवर की लाइव लाइन माने जाने वाला जयसमंध बांध कई सालों से नहीं भर पाया है। जयसमंध बांध में पानी भरने व अलवर शहर व आसपास का भूजल स्तर बढ़ता है और पानी की समस्या में कमी आती है। इसके लिए रूपरेल नदी का पानी जयसमंध बांध में लाने के लिए शहर विधायक संजय शर्मा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नटनी का बारां वीयर पर मंगलवार सुबह 9:30 बजे धरने पर बैठे गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार व प्रशासन द्वारा इस और ध्यान न देने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।



पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे शहर विधायक संजय शर्मा।

विधायक संजय शर्मा के साथ धरने पर पूर्व विधायक जयराम

जाटव, पूर्व प्रदेश मंत्री सुरेश यादव, पदाधिकारी अशोक गुप्ता, जितेंद्र दिनेश गुप्ता, सुरेश मेहता, सुभाष सभापति चनश्याम गुर्जर, जिला राठौर, राजेंद्र कसाना, दीपक पंडित, दायमा, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सेनी,

मनोज चौहान, रवि यादव, हरीश अरोडा, विकास शर्मा, राकेश यादव, अजय सोनी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि नटनी के बारां से वर्षा के पानी का बंटवारा होता है। रूपरेल नदी के जल के असमान वितरण के कारण जयसमंध बांध विगत कई वर्षों से भर नहीं पाता है एवं अत्यधिक व्यर्थ जल बह कर भरतपुर पहुंच जाता है। जबकि भरतपुर के आमजन हेतु जलापूर्ति चंबल नदी योजना से हो रही है। वर्तमान में वहां जल अभाव जैसी कोई समस्या नहीं है। ऐसे में यह अलवर का अधिकार है की रूपरेल का संपूर्ण जल अलवर को मिले। जिससे जयसमंध बांध अपनी पूर्ण क्षमता से भरे एवं यहां के भूजल स्तर में वृद्धि हो, आसपास के क्षेत्रों में समृद्धि हो।

चूरू: ढाणा की रोही में राज्यवृक्ष खेजड़ी के 70 पेड़ काटे

पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया

चूरू, (कास)। चूरू जिले के सिधमुख थाना क्षेत्र के गांव ढाणा की रोही में रात को जेसीबी से खेजड़ी के 70 पेड़ काटे डाले। खेत के मालिक मदनलाल शर्मा द्वारा पुलिस को रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस की आंखें नहीं खुलने का आरोप लगाया है। ढाणा निवासी मदनलाल शर्मा ने बताया कि उसके भाई राधेश्याम और वेद प्रकाश ने मिलकर रात को जेसीबी से उसके खेत में खड़े खेजड़ी के 70 पेड़ काटे दिए। उन्होंने बताया कि वेद प्रकाश ने काटे हुए पेड़ों की एक पिकअप भरकर सिवानी आरा में भेज दी है। शेष काटे पेड़ खेत में ही पड़े हैं।

मदनलाल शर्मा ने बताया कि सिधमुख थाना में लिखित में रिपोर्ट देने के बाद भी अभी तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। वह सबेरे से ही थाने में बैठा गुहार लगा रहा है। इस संबंध में पटवारी जितेंद्र चरण ने बताया कि उन्हें तहसीलदार ने सूचना दी है। पटवारी ने अभी मौके पर जाने की बात कही है। इस संबंध में सिधमुख थाना पुलिस का कहना है कि यह चार भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद का मामला है। पिछले दिनों आंधी में कोई जटिया खुर गया था। एक भाई राज्य पेड़ खेजड़ी काटने का कह रहा है।

दूसरे भाई कह रहे हैं कि यह जमीन उनके हिस्से की है। एक खेत में 70 खेजड़ी होना भी संदेह के घेरे में है। सिधमुख थाना के अनुसार पुलिस की टीम मौके पर भेज दी है। इस संबंध में उपवन संरक्षक सविता दर्दया का कहना है कि सरकार ने वन भूमि के अलावा कहीं पेड़ काटें तो उन पर कार्यवाही करने अधिकारी उन्हें नहीं दिया है। दर्दया ने



चूरू जिले के सिधमुख थाना क्षेत्र के गांव ढाणा की रोही में रात को जेसीबी से खेजड़ी के 70 पेड़ काटे डाले।

कहा कि उन्हें कोई सूचना भी नहीं मिली है। सूचना मिलती तो पटवारी और तहसीलदार को भिजवाते।

सहायक आचार्य परीक्षा: शेष तीन विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां वेबसाइट पर जारी

अजमेर, (कास)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) संवीक्षा परीक्षा-2021 के विभिन्न विषयों में से शेष 3 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां भी वेबसाइट पर जारी कर दी गयी है। इससे पूर्व 10 जून 2022 को आयोजित द्वारा अन्य 11 विषयों की उत्तर कुंजियां

भी जारी की जा चुकी है। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गयी है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 15 जून से 17 जून 2022 को रात्रि 12:00 बजे तक

अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही करनी होंगी प्रविष्टियां - संयुक्त सचिव गुप्ता द्वारा बताया गया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। इस परीक्षा के मॉडल प्रश्न-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

औषधि व सहायक औषधि नियंत्रक रिश्वत लेते गिरफ्तार

उदयपुर, (निस)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुए परिवादी से 22 हजार रुपये रिश्वत लेते सहायक औषधि नियंत्रक चैतन्य प्रकाश पंवार, औषधि नियंत्रक धीरज शर्मा व दलाल को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवानलाल सोनी ने बताया कि एसीबी की उदयपुर इकाई को परिवादी ने शिकायत देते हुए बताया कि उसकी मेडिकल की दुकान पर सहायक

औषधि नियंत्रक चैतन्य प्रकाश पंवार, औषधि नियंत्रक धीरज शर्मा द्वारा आकर दवाइयों का लेखा-जोखा मांग नारकोटिक्स का केस दर्ज करने की धमकी देकर एक लाख रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। इस पर एसीबी उदयपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पंचार के निर्देशन में एसीबी उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवा कर

मंगलवार को ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक हरिशचंद्र सिंह एवं उनकी टीम ने दृष्ट कार्यवाही करते हुए सहायक औषधि नियंत्रक उदयपुर चैतन्य प्रकाश पंवार, औषधि नियंत्रक उदयपुर धीरज शर्मा के कहने पर रिश्वत राशि को दलाल गांधी चौक सराड़ा निवासी अंकित जैन पुत्र इन्दरलाल जैन की मेडिकल शॉप ब्रिटिश फार्मा मधुवन उदयपुर पर रखवाने पर दलाल अंकित को परिवादी से 22 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सहायक औषधि नियंत्रक जटियों

कावास, बिलाडा जोधपुर हॉल गली नं. 2 धूलकोट चौराहे के पास निवासी चैतन्य प्रकाश पंवार, जैन गली जैन मंदिर के पास बयाना भरतपुर हॉल औषधि नियंत्रक अधिकारी, कार्यालय औषधि नियंत्रक अधिकारी गुलाबबाग रोड उदयपुर धीरज शर्मा को भी मौके से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी की दुकान से कलेक्शन में से 8 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिए थे। ब्यूरो की टीम आरोपियों के निवास पर तलाशी कर रही है।



राजस्थान-शासन

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेल्वे स्टेशन रोड, चित्तौड़गढ़ व 01472-241587, E-Mail:- deochittor@rajexcise.net

क्रमांक : प.14/आब./अभि./चित्तौड़/2022-23/70

दिनांक : 14.06.2022

वाहन रिलीज हेतु अंतिम नोटिस आदेश

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस थाना/आबकारी थाना/आबकारी वृत्त कार्यालयों द्वारा दर्ज अभियोगों में अवैध मदिरा के परिवहन में काम में लिये गये वाहनों को जब्त किया गया है। आबकारी अधिनियम के अनुसार अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त वाहन का अधिहरण (Confiscation) किया जा सकता है। राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 69(4) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे वाहनों के अधिहरण (Confiscation) से पूर्व जुर्माना राशि (जो कि वाहन के बाजार मूल्य तक हो सकती है) अदा करने का आदेश जारी किया जा सकता है तथापि ऐसा करने से पूर्व वाहन स्वामी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में निम्नलिखित आबकारी अभियोगों में जो वाहन जब्त किये गये, निम्नलिखित वाहनों के पंजीकृत वाहन स्वामियों अथवा वित्तीय संस्थाएँ जो वाहन के (Hypothecation) आधार पर स्वामित्व का हित रखते हो अथवा अन्य कोई भी हितवद्ध व्यक्ति द्वारा वाहन को छुड़वाने हेतु सक्षम अधिकारियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। कुछ स्वामियों के नाम पते अज्ञात है। जिनकी सूची निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	अभियोग संख्या व दिनांक	पुलिस थाना/आबकारी थाना/आबकारी वृत्त	वाहन का प्रकार व मॉडल वर्ष	वाहन रजिस्ट्रेशन नं./ ईजन नं./ चेसिस नं.	कार्यालय एवं अधिकारी का नाम जहां दिनांक 30.06.2022 तक वाहन छुड़वाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
----------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--	---

मारी मोटर वाहन (HMV)					
1	332/2017 दिनांक 24-12-2017	पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़	ट्रक टाटा कंपनी	RJ-05-GB-0880 ई.न. MAT448022DAP09684 चे.न. 31L84135	आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर
2	150/2017 दिनांक 27-11-2017	पुलिस थाना बस्ती	टाटा ट्रक	RJ-35-GA-1270 ई.न. 40B62318395 चे.न. 426021GB2107127	आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर
3	13/2018 दिनांक 12-01-2018	पुलिस थाना गंगारार	ट्रक	HR-39-A-7493 ई.न. - चे.न. 444026DSZ114990	आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर
4	226/2018 दिनांक 21-07-2018	पुलिस थाना सदर निम्बाहेड़ा	कन्टेनर	RJ-18-GB-4494 ई.न. HAF7421241 चे.न. MB1AXGCDIHRAP8072	आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर
5	21/2019 दिनांक 09-02-2019	पुलिस थाना शम्भुपुरा	ट्रक अशोक लीलैण्ड कंपनी	RJ-09-GA-9274 ई.न. DAH2103947 चे.न. MBLAWJFCRAH4063	आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर
6	83/2019 दिनांक 05-07-2019	पुलिस थाना पारसोली	टाटा मिनि ट्रक 709/38	RJ-08-GA-4239 ई.न. -497TC84GXZ883073 चे.न. 386122GXZ811127	आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर
7	29/2020 दिनांक 05-02-2020	पुलिस थाना बेगू	टाटा कंपनी का ट्रक	RJ-14-GF-2747 ई.न. स्पष्ट नहीं चे.न. MAT448602H5D05991	आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर
8	82/2021 दिनांक 16-03-2021	पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़	ट्रक एक पुपना भारत बैंक 1014	UP15-ET-1554 ई.न. MECO443AJPU032197 चे.न. 400923P000906	आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर
9	24/2022 दिनांक 14-01-2022	पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़	ट्रक टाटा कंपनी	GJ-25-T-9897 ई.न. 68TAA50011D62868656 चे.न. MAT466401A210049	आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर

हल्के मोटर वाहन (LMV)					
1	87/2013 दिनांक 20-12-2013	पुलिस थाना भूपालसागर	पेजोरो कार	बिना नंबर ई.न. जलने से स्पष्ट नहीं चे.न. MA702Y46W7A002094	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
2	249/2016 दिनांक 11-09-2016	पुलिस थाना गंगारार	पिकअप	RJ27-GB-8664 ई.न. JEB4E24718 चे.न. MA1YEZREKB6E84880	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
3	73/2017 दिनांक 18-05-2017	पुलिस थाना बस्ती	टाटा 407 पिकअप	RJ25-GA-0885 ई.न. 639468 चे.न. 38043	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
4	266/2017 दिनांक 23-09-2017	पुलिस थाना चन्देरिया	कार टाटा नैनो	RJ-09-CA-6289 ई.न. MAT612202AKG14691 चे.न. 273MPF103GZYK20289	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
5	68/2018 दिनांक 16-05-2018	पुलिस थाना मंगलवाड	टेम्पो	RJ-09-GA-7767 ई.न. PCHO27486P चे.न. MB1AA22E1CRP26710	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर

6	254/2018 दिनांक 24-10-2018	पुलिस थाना रावतभाटा	मारुति वेन	RJ-14-UA-4166 ई.न. - चे.न. -	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
7	110/2019 दिनांक 10-08-2019	पुलिस थाना पारसोली	टेम्पो	RJ-09-GC-1748 ई.न. -275ID107BRY521233 चे.न. -MT445553JZB09141	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
8	517/2019 दिनांक 2019	पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़	जीप महिन्द्रा	RNW-4590 ई.न. DJ00316 चे.न. CJ500D4DJ0031	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
9	106/2020 दिनांक 20-11-2020	पुलिस थाना भूपालसागर	सेन्ट्रो कार	RJ-19-CB-6305 ई.न. - चे.न. -	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
10	91/2020 दिनांक 12-04-2020	पुलिस थाना सदर निम्बाहेड़ा	अल्टो कार	RJ-09-CB-4027 ई.न. -F8DN5552188 चे.न. -MA3EUA61S0077924	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
11	25/2020 दिनांक 12-02-2020	पुलिस थाना रावतभाटा	पिकअप	RJ-20-G-7504 ई.न. -497SP27AUZ804010 चे.न. -374435AU2902880	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
12	437/2021 दिनांक 05-11-2021	पुलिस थाना सदर निम्बाहेड़ा	ओमनी मारुति वेन	RJ-27-UA-1203 ई.न. -F8BIN3555577 चे.न. -MA3EVB11S00747398	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
13	55/2022 दिनांक 05-03-2022	पुलिस थाना चन्देरिया	कार क्रेटा	RJ-05-CC-6161 ई.न. -MALC281RLJM417822 चे.न. -D4FCJM600967	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
14	69/2022 दिनांक 28-11-2022	पुलिस थाना विजयपुर	मारुति वेन	RJ-09-UA-6280 ई.न. -F8BIN4815462 चे.न. -MA3EVB11SO1612316	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर
15	75/2022 दिनांक 19-03-2022	पुलिस थाना रावतभाटा	जीप महिन्द्रा	RJ-06-C-2912 ई.न. -DU175376 चे.न. -DU175376	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जौन, उदयपुर

दुपहिया वाहन (Two Whiler)

1	44/2015 दिनांक 27-02-2015	पुलिस थाना गंगारार	मोटर साईकिल हिरो	बिना नंबर ई.न. -स्पष्ट नहीं चे.न. -स्पष्ट नहीं	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2	281/2017 दिनांक 17-11-2017	पुलिस थाना रावतभाटा	मोटर साईकिल बजाज प्लेटिना	RJ-20-SA-0341 ई.न. DUMBR2C1273 चे.न. MDZDDZZRW08915	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
3	22/2018 दिनांक 21-05-2018	पुलिस थाना कनेरा	मोटर साईकिल हिरो होण्डा पेशन प्रो	RJ-09-SJ-5275 ई.न. HA10EDBGA04022 चे.न. MBLHA10EWBGA27750	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
4	61/2018 दिनांक 29-03-2018	पुलिस थाना रावतभाटा	मोटर साईकिल बजाज प्लेटिना	बिना नंबर ई.न. DZUBTH28945 चे.न. MDZDDZZZTPH24059	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
5	93/2019 दिनांक 04-06-2019	पुलिस थाना शम्भुपुरा	एक्टीवा स्कूटी	RJ-09-DS-5777 ई.न. JF50E75417243 चे.न. ME4JF507LH7417198	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
6	27/2019 दिनांक 19-03-2019	पुलिस थाना बस्ती	मोटर साईकिल बजाज सीटी 100	RJ-09-SX-5669 ई.न. DUZEF6G3136 चे.न. MD2A1BAZ6FP3007	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
7	312/2019 दिनांक 07-11-2019	पुलिस थाना गंगारार	मोटर साईकिल हिरो होण्डा सीडी 100	बिना नंबर ई.न. स्पष्ट नहीं चे.न. स्पष्ट नहीं	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
8	184/2020 दिनांक 20-04-2020	पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा	मोटर साईकिल हिरो होण्डा सीडी डॉन	RJ-09-SA-1943 ई.न. 05E27E3082 चे.न. 05E2302381	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
9	91/2020 दिनांक 07-05-2020	पुलिस थाना बडीसादडी	मोटर साईकिल हिरो होण्डा स्पेलेण्डर प्लस	RJ-27-M-0143 ई.न. 04M15E43520 चे.न. 04M16F43089	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
10	212/2020 दिनांक	पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़	स्कूटी हिरो मेस्ट्रो	RJ-09-AS-3129 ई.न. JF33AAG4J14529 चे.न. MBLJF33AAG4J14737	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़

अतः सर्व साधारण को इस आम सूचना के तहत सूचित किया जाता है कि चित्तौड़गढ़ जिले में आबकारी अभियोगों में जब्त निम्नलिखित वाहनों के पंजीकृत स्वामी अथवा ऐसी वित्तीय संस्थाएँ (Hypothecation) के आधार पर स्वामित्व रखती हो अथवा वाहन से संबंधित अन्य कोई भी हितवद्ध व्यक्ति वाहन के संबंध में अपना पक्ष रखना चाहता है, छुड़वाना चाहता है तो वह दिनांक 30.06.2022 तक कॉलम संख्या छ: में वर्णित कार्यालय एवं अधिकारी के समक्ष वाहन के स्वामित्व बाबत पूर्ण दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा दिनांक 30.06.2022 के पश्चात् एक पक्षिय निर्णय लिया जाकर वाहन को राजसात (Confiscation) किया जा कर जब्त वाहनों की निलामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। अतः संबंधित सूचित रहें। उक्त संदर्भ में इस कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(मुकेश देवपुरा)

जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़